

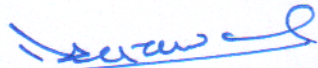
(देखिए नियम 6)
फार्म 'क' सरकारों तथा प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण	
(i) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) चरण-VII के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में 4/6 लेन उत्तर-पूर्व गोरखपुर बाईपास का विकास किया जाना है, जो NH-29E (कि०मी० 83+308) से शुरू होकर एनएच-28 (कि०मी० 285+100) पर समाप्त होता है।
(ii) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
(iii) परियोजना की लागत	रु० 18,81,74.00 लाख मात्र।
(iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	नई सड़क का निर्माण।
(v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)।	लागू नहीं है।
(vi) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	अस्थायी रोजगार - 653 स्थायी रोजगार - 163
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	नई सड़क के निर्माण हेतु 4.495 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 0.451 हे० संरक्षित वन भूमि की आवश्यकता है। कुल भूमि - 4.946 हे०।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	
(i) परिवारों की संख्या	नहीं।
(ii) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	नहीं।
(iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	नहीं।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हाँ / नहीं)	हाँ।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और / या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न पत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा	संलग्न है।

तिथि: 01.06.2023

स्थान: गोरखपुर


 परियोजना निदेशक
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
 परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गोरखपुर
 Project Director
P I U N H A I
 Gorakhpur